International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 03(III), July- September, 2025, pp. 213-217

भारत में सामाजिक न्याय और सहकारी आंदोलन

डॉ. रामसुख*

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

*Corresponding Author: ramsukh28@gmail.com

*Citation: रामसुख. (2025). **भारत में सामाजिक न्याय और सहकारी आंदोलन**. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(03(III)), 213–217.*

सार

बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखे गये स्वराज विधेयक (1895) में सर्वप्रथम संविधान निर्माण के बीज खोजे जाते हैं। इसके बाद महात्मा गाँधी द्वारा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा जैसे संगठन की अप्रत्यक्ष मांग, नेहरू रिपोर्ट, एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के गठन की स्पष्ट मांग और कांग्रेस द्वारा सभा के गठन का प्रस्ताव (1934) इस संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनायें हैं। अगस्त प्रस्ताव (1940) में अंग्रेजों ने भी पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था और क्रिप्स प्रस्ताव में तो पूर्ण रूप से भारतीयों से युक्त सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

शब्दकोश: *सामाजिक न्याय, सहकारी आंदोलन, राष्ट्रीय एकता, संविधान, क्रिप्स प्रस्ताव।*

प्रस्तावना

संविधान वह दस्तावेज है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था, सरकार के स्वरूप, नागरिकों के अधिकार और उनकी समुचित रक्षा का प्रावधान होता है। भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। यह दस्तावेज देश में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। संविधान निर्माण की कहानी से इसके महत्व को समझा जा सकता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इंग्लैण्ड में हुये राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। एटली की सरकार द्वारा भारत की समस्याओं पर विचार करने हेतु अपने तीन कैबिनेट मंत्रियों (कैबिनेट मिशन) को भारत भेजा गया। इसी कैबिनेट मिशन (सर पैथिक लॉरेंस, ए.वी. एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स) योजना के तहत् संविधान सभा का गठन हुआ था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लेने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार सभा की संख्या 389 निर्धारित की गई। इनमें से 296 (292 ब्रिटिश प्रांतों व 4 चीफ कमीश्नरी प्रांतों) सदस्य ब्रिटिश भारत व 93 सदस्य देसी भारत से लिये जाने का प्रावधान किया गया। **(01)**

9 दिसम्बर, 1946 को सभा की प्रथम बैठक डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता मे हुई। जिसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। जिनमें 10 महिलायें थी। 11 दिसम्बर, 1946 को सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष निर्वाचीत किया जबकि 13 दिसम्बर को पं. जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त, 1947 को सभा की महत्वपूर्ण समिति–प्रस्ताव समिति का गठन हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत्त किया और इस दिन कुल 16

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

अनुच्छेद लागू हुये। **(02)** जबकि 26 जनवरी, 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। सभा के कुल 12 सत्र हुये। जिसमें 167 दिन सभा की बैठकें हुई। कुल 15 महिलाओं का संविधान निर्माण में योगदान रहा। संविधान लागू होते समय इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे।

विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विधि का शासन, संघात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सामजंस्यता, मूल कर्त्तव्यों की विद्यमानता, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, वयस्क मताधिकार और स्थानीय स्वशासन की ईकाईयों का विस्तृत उल्लेख इस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषतायें हैं।

भारतीय संविधान लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता हैं –

- **वयस्क मताधिकार –** वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आवश्यक शर्त हैं। संविधान लागू होने के साथ ही अनुच्छेद 326 के तहत् सभी 21 वर्ष के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 326 के अनुसार "लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।" **(03)** 52 वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इस आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। भारत में संविधान लागू होने के साथ वयस्क मताधिकार प्रदान करना एक क्रान्तिकारी कदम था। इंग्लैण्ड, अमेरिका जैसे देशों में इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया गया। वहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे एकदम लागू किया। अमेरिका में महिलाओं को 1919 में मताधिकार प्रदान किया गया।

संविधान सभा में 26 नवम्बर, 1949 को बोलते हुये डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसे संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बतलाया उन्होंने कहा – "यदि उनको (मतदाताओं) वस्तुस्थिति समझा दी जाये तो वे केवल निर्वाचन की बारीकियों को ही नहीं समझेंगें बल्कि बुद्धिमानी पूर्वक अपना मत भी देंगे और इसलिये इनके कारण भविष्य के प्रति मुझे कोई शंका नहीं है।" **(04)** आज भारत में लगभग 96.88 करोड़ (1 जनवरी, 2024) मतदाता है जो विश्व में सर्वाधिक है व इनमें से 49.72 करोड़ पुरूष तथा 47.15 करोड़ महिला मतदाता है। 48,044 थर्ड जेंडर भी है। **(05)** बिना किसी भेदभाव के मताधिकार ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया है। अनुच्छेद 325 मताधिकार के संदर्भ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषध करता है।

- **शक्तियों का पृथक्करण –** शासन के तीनों अंग – व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का समान वितरण और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। भारतीय संविधान इन तीनों अंगों के न केवल पृथक्करण का प्रावधान करता है बल्कि उनमें संतुलन भी बनाये रखता है। व्यवस्थापिका के रूप से संसद (लोकसभा व राज्यसभा) है जो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जबकि कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् है जो क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार हैं।

न्यायपालिका का मुख्य कार्य संविधान के अनुसार विधि निर्माण व उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखना है। संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत् संविधान में संशोधन की शक्ति है, वहीं न्यायपालिका भी संविधान के आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत (केशवानंद भारती बनाम् केरल राज्य) के आधार पर किसी संशोधन की समीक्षा कर सकती है। शक्तियों के इस पृथक्करण से शासन का कोई भी अंग किसी पर हामी नहीं हो सकता है। फलस्वरूप नागरिकों के संविधान प्रदत्त सुरक्षित रहते हैं।

- **मौलिक अधिकार –** संविधान के भाग तीन द्वारा नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में जहाँ एक ओर विधि के समक्ष समानता प्रदान कर सभी भेदभाव का

निषेध कर दिया गया है वहीं दूसरी ओर इसी अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण उल्लेखित कर समाज के पिछड़े वर्गों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 17 के तहत् छुआछुत का अंत कर सभी व्यक्तियों को समान दर्जा प्रदान किया गया है वहीं अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों (शिक्षा व सेना को छोड़कर) का अंत कर समाज में वी.आई.पी. संस्कृति को समाप्त किया गया। बेगार प्रथा, मानव व्यापार और बालश्रम का अंत कर भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत करता है। जहाँ एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा औश्र संस्कृति का अधिकार (अनुच्छेद 29–30) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। जहाँ एक ओर संविधान सभी नागरिकों को भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध घूमने करने और निवास करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 घ, ड़) प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिये इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन (अनुच्छेद 19(2)) का भी प्रावधान करता हैं।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उनके समुचित संरक्षण हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) संविधान की एक सुन्दर विशेषता हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि उनका संरक्षण भी स्वयंमेव एक मौलिक अधिकार हैं।

- **पिछड़े वर्गों के प्रावधान** – भारतीय संविधान पिछड़े वर्गों के कल्याण की समुचित व्यवस्था करता है। समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वतंत्रता समानता और न्याय जैसी अवधारणाओं से परिचय करवाता है। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 15 व 16 द्वारा क्रमशः शिक्षण संस्थाओं व लोक नियोजन में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसी प्रकानर से अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 41 से बेकार, बुजुर्ग, बीमार और निःशक्तों हेतु काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित्त दशायें, अनुच्छेद 42 में न्यूनतम वेतन जैसे प्रावधान भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र बना देते हैं। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों के कल्याण का उल्लेख हैं।

अनुच्छेद 330 द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा अनुच्छेद 332 द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों हेतु स्थानों का आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनकी नीति निर्धारण में भूमिका को तय करता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये अर्हता अंकों में छूट का प्रावधान करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं हेतु स्थान आरक्षित किये गये हैं।

इस संदर्भ में 106वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) की भी चर्चा करना आवश्यक है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है।

इस हेतु संविधान में 330 क, 332 क और 334 क नामक तीन नये अनुच्छेद संविधान में जोड़े गये हैं। यह संशोधन अभी भले ही लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस 106वें संशोधन ने समाज की आधी आबादी का नीति निर्माण संस्थाओं में न्यूनतम एक तिहाई भागीदारिता सुनिश्चित कर संविधान को और अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान कर दिया है।

- **भाषा संबंधी प्रावधान** – संविधान सभा में सर्वाधिक बहस भाषा के विषय पर हुई। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते समय आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के अर्न्तगत हिन्दी को राजभाषा बनाया गया। इस विषय पर बहस के दौरान सभा ने पूर्णतया लोकतांत्रिक

विधि का अनुसरण करते हुये संविधान लागू होने के अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी जारी रखने का निर्णय लिया। 14 भाषाओं को एक साथ मान्यता संविधान को समावेशी बनाता है। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषायें हैं। 21वें संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी, 71वें संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संशोधन द्वारा वर्ष 2004 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को शामिल किया गया।

22 भाषाओं को संविधान प्रदत्त मान्यता ने भारतीय संविधान को सबका साथ, सबका विकास से युक्त दस्तावेज बना दिया है। बोलने वालों की संख्या कम हो जाने के बावजूद भी उन भाषाओं को संवैधानिक संरक्षण निःसन्देह लोकतांत्रिक आदर्शों को फलीतार्थ करने का प्रयास है।

- **पाँचवीं व छठी अनुसूची** – स्वतंत्रता से पूर्व आदिवासी समुदाय के लोक जंगलों में रहते थे। मुख्यधारा के लोगों से दूर उनकी अपनी जीवन शैली और नियम थे। उनकी विशेष संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना संविधान निर्माताओं के समक्ष बड़ा प्रश्न था। साथ ही उन्हें अन्य समुदायों के साथ जोड़ना भी था। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर संविधान में पाँचवीं व छठी अनुसूची जोड़ी गई। इन तीनों अनुसूचियों द्वारा अनुसूचित जनजाति की विशेष संस्कृति का प्रदान किया गया है। 26 नवम्बर, 1949 को सभा में बोलते हुये डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इन प्रावधानों से जनजातियाँ प्रशासन पर अपना प्रभाव डाल सकेगी।

पाँचवीं व छठी अनुसूची के कारण अनुसूचित क्षेत्र स्थापित करना संभाव हुआ है। यह क्षेत्र जनजातियों की विशेष संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से संविधान के यह प्रावधान सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के उपकरण सिद्ध हो रहे हैं।

- **पंथनिरपेक्षता** – भारतीय संविधान के पंथनिरपेक्ष स्वरूप ने अल्पसंख्यकों की आशंकाओं को दूर किया है। केशवानंद भारती बनाम् केरल राज्य (1973) के वाद में न्यायालय ने इसे संविधान का आधारभूत ढ़ांचा स्वीकार किया है। हालांकि मूल प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख नहीं था और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। राज्य का कोई एक धर्म नहीं होने, राज्य द्वारा सभी पंथों को समान मानने की प्रकृत्ति ने संविधान को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया है।

अभी हाल ही में (25 नवम्बर, 2024) को उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना में उल्लेखित 'पंथनिरपेक्ष' शब्द को हटाने हेतु लगाई गई याचिका का निस्तारण करते हुये कहा कि यह शब्द प्रस्तावना का अतरंग भाग बन गया है और इसे व्यापक स्वीकृत्ति भी प्राप्त हो गई है।**(07)**

- **स्थानीय स्वशासन** – संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठायेगा" हालांकि यह एक नीति निदेशक तत्व है लेकिन इसका प्रावधान लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में संविधान निर्माताओं के विश्वास को प्रकट करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन तो भारत को स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में विश्व में अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। विश्व के किसी भी देश के संविधान में स्थानीय स्वशासन इकाईयों के संदर्भ में इतने विस्तृत प्रावधान नहीं है।

73वाँ संशोधन संविधान में 16 नये अनुच्छेद जोड़ता है जबकि 74वें संशोधन द्वारा 18 नये अनुच्छेद जोडे गये हैं। ग्राम सभा का गठन, संरचना और उसकी प्रक्रिया भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को साकार करते हैं।

- **राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ** – राज्य सभा राज्यों का सदन है। राज्य सभा की स्थापना संघ स्तर पर राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये की गई है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण केन्द्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। इस हेतु तीन सूचियाँ – संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची बनाई गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो राज्यसभा इस सन्दर्भ में संकल्प पारित करती है।

(08) राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि बनायें, यह संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकुल है लेकिन यह शक्ति राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन अर्थात राज्य सभा को प्रदान की जो कि भारतीय संविद्यान के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को स्पष्ट करता है।

इसी प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के सन्दर्भ में भी प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं पर संघ सरकार का मैं ही नियंत्रण होता है, राज्य सरकारों का आंशिक नियंत्रण होता है। अतः नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के सन्दर्भ में भी लोकतांत्रिक सिंहातों का अनुसरण किया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो–तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकेगी। **(09)**

- **नये राज्यों का गठन –** प्रथम दृष्टया नये राज्यों का गठन पूर्णतया संसद के अधीन ही प्रतीत होता है। लेकिन अनुच्छेद तीन के प्रावधान इस सन्दर्भ में राज्यों की भूमिका का भी प्रावधान करते हैं। दरअसल अनुच्छेद तीन में नये राज्यों के गठन, राज्यों की सीमा अथवा नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इस प्रयोजन के लिये कोई भी विधेयक राष्ट्र पति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्थावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम पर पड़ता है, वहाँ राज्य के विधानमंडल के विचार भी प्राप्त किये जायेंगें। **ख्ड,** यह प्रावधान न केवल संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकुल है, बल्कि संविधान की लोकतंत्रात्मक प्रकृति को भी प्रकट करता है।
- **संविधान संशोधन की प्रक्रिया –** अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इसके अनुसार संविधान में दो तरीकों से संशोधन किये जाते हैं। संविधान के कुछ प्रावधानों यथा – राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचन विधि, सातवीं अनुसूची इत्यादि में संशोधन हेतु आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है।

संविधान संशोधन की शक्ति पूर्णतया संसद में निहित नहीं की गई है। बल्कि कुछ प्रावधानों के सन्दर्भ में राज्यों के विधानमंडल की भूमिका को सुनिश्चित कर संविधान ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान को लोकतांत्रिक आदर्शों और सामाजिक न्याय का सर्वोच्च दस्तावेज बनाते हैं। अमेरीकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑरिटन ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय संविधान एकता, सामाजिक क्रान्ति और लोकतंत्र के उद्देश्य से बनाया गया है। **(10)**

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. परांजपे एन.पी., भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, आठवाँ संसकरण, 2008, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, पृष्ठ संख्या – 408
2. अनुच्छेद 394, भारत का संविधान, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2016, पृष्ठ संख्या – 305
3. वही, भारत का संविधान, पृष्ठ संख्या – 230
4. भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट (हिन्दी संस्करण), लोकसभा सचिवालय, खण्ड X से XII, पुस्तक संख्या – 8, 26 नवम्बर, 1949, पृष्ठ संख्या – 4241
5. Pib.gov.in/PressRelease Page.aspx-9/02/24
6. वही, भारतीय संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट, 26 नवम्बर, 1949, पृष्ठ संख्या – 4243
7. डॉ. बलराम शाह व अन्य बनाम् भारत संघ व अन्य, सिविल पिटिशन संख्या – 465, 2020
8. वही, भारत का संविधान, पृष्ठ संख्या – 178
9. वही, भारत का संविधान, पृष्ठ संख्या – 215
10. ऑस्टिन ग्रेनविल, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला; वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 2017, भूमिका.

❑❑❑